

प्ररूप दो
निम्न वर्ग/विशेष
छत्तीसगड शासन



सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

मांक 13607

दिनांक (11.4.1984)

यह प्रमाणित किया जाता है रजिस्ट्रीकृत सोसायटी शृष्णा एजुकेशनल सोसायटी ने

जा 234 जोनल मार्केट सेक्टर-10, भिलाई, जिला दुर्ग

में स्थित है अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब शृष्णा एजुकेशन सोसायटी

234 जोनल मार्केट सेक्टर-10, भिलाई, चहसील व जिला दुर्ग

के नाम से छत्तीसगड सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन् 1973) की धारा 13

अनुच्छेद (2) के अधीन तारीख 23/04/2011 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।



(Handwritten Signature)
(की. सी. मन्ना)
23/4/11
सोसायटियों के रजिस्ट्रार

(Handwritten Signature)
22-3-2024

PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR

(Handwritten Signature)
MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.)

उत्तर क्रमांक 458
दिनांक 26/4/11

पत्र (2)
समाप्त पत्र नारी 23/4/11
13607
11/4/84
23/4/11

नियमावली

1. संस्था का नाम : कृष्णा एजुकेशन सोसायटी
2. संस्था का कार्यालय : 234, जोनल मार्केट, सेक्टर - 10, मिलाई, तहसील
व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़
3. कार्यक्षेत्र : छत्तीसगढ़
4. संस्था का उद्देश्य :

1. पिछले वर्गों में अनुसूचित जाति / जनजाति के शिक्षा के आधार शाला पर उनके उत्तरनिहित क्षमता का वास करना।
2. शैक्षणिक गतिविधियों को उत्साहित करना। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंध करना। निरक्षरता उन्मूलन हेतु प्रौढ शिक्षा का प्रबंध करना।
3. भारतीय संस्कृति के मूल्यों को स्थापना के लिए एवं शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए सेमिनार व सिम्पोजियम आयोजित करना पुस्तकालयों की स्थापना करना।
4. सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों को व्यवस्था करना एवं खेलों का आयोजन करना।

5. सदस्यता :

- अ. संरक्षण सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रु. 1000/= या अधिक एक मुश्त या एक धर्म बारह किशतों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।
- ब. आजीवन सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रु. 500/= या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य रु. 500/= या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- स. साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति रूपये प्रति माह रूपया 60/= प्रतिवर्ष संस्था को धन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि तक के लिये सदस्य रहेगा जिसके लिये उसने धन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोष जनक कारणों के छः माह तक देय धन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया धन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
- द. सम्माननीय सदस्य :- संस्था की प्रबन्धकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पी. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

22-3-2011
PRINCIPAL
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR

क्रमांक: -2
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)

6. सदस्यता की प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो, विधिवत रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंध कारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसकी आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।
7. सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-
1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।
 2. भारतीय नागरिक हो।
 3. समिति के नियमों का पालन की प्रतिज्ञा की हो।
 4. सद् चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी -
1. मृत्यु हो जाने पर
 2. पागल हो जाने पर
 3. संस्था को दिये धन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
 4. त्याग-पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
 5. दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।
9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी, जिसमें निम्न ध्यारे दर्ज किये जावेगे :-
1. प्रत्येक सदस्य का नाम तथा पता एवं व्यवसाय। हस्ताक्षर सहित।
 2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नंबर।
 3. वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
10. अ. साधारणसभा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कौरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजायक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराये एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री श्री. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

ब. प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष बैठक :- यदि कम से कम कुल संख्या कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक लाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सी बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इन संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

- संस्था के पिछले वर्ष स्थाई निधि व संपत्ति व्यवस्था करण्ड
- संस्था की पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन
- आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
- अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- संस्था द्वारा संबंधित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
- बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टोज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5)अ, ब, स में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाहन होगा।

अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष स. सचिव द. कोषाध्यक्ष इ. संयुक्त सचिव एवं सदस्य - दो।

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल - प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि गई प्रबंधकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार अन्य कारणों से नहीं हो जाती, करती रहेगी किन्तु उक्त के लिए साधारण सी सभा का अनुमोदन करना आवश्यक होगा जिसका अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ायी जावेगी।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पी. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भूत आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल वार्षिक सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर सौंपे जाए।

च. संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

छ. संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित नहीं की जाएगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात् होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव मंत्री के अधिकार :-

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय - समय पर बुलाया और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

2. समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाई जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 500=00 खर्च करने का अधिकार होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पी. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

18. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :-** समिति की घलवाही का पूर्ण हिसाब रखना तथा सुविधा या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
19. **बैंक खाता :-** संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 200.00 रहेंगे।
20. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :-** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यवाही समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेगी। नियत शुल्क के साथ भेजी जावेगी।
21. **संशोधन :-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। नियत शुल्क के साथ भेजी जावेगी।
22. **विघटन :-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
23. **सम्पत्ति :-** संस्था को समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के सुपुर्द रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्मों एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्य प्रकार से अधिकृत या अन्तरित नहीं की जा सकेगी। नियत शुल्क के साथ भेजी जावेगी।
24. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।
25. **विवाद :-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष की साधारण सभा में बुलाने का अधिकार होगा। यदि इन निश्चित या निर्णय से पक्षाकार को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद का अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

(एम. एम. त्रिपाठी)

(श्री पी. कुमार)

(श्रीमती कृष्णा)

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDERNAGAR, BHILAI (C)

500-09-25/4/10
13607
14/4/11
26/4/11

D.D Mahant
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhatrisgarh

22-3-2011

13607/1984

888

/20

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक

22/11/2020

सचिव

एजुकेशन सोसायटी, भिलाई

43/76, नेहरू नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग।

विषय: छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन-1998) की धारा-29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।

संदर्भ: आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020

-00-

संस्था कृष्णा एजुकेशन सोसायटी, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक-13607, दिनांक 11.04.1984 द्वारा जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 24.06.2020 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत इस कार्यालय में दिनांक 21.07.2020 एवं 26.11.2020 को फायलिंग शुल्क रुपये 5000 / चालान क्रमांक-78946960, दिनांक 18.07.2020 दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा-29 के अधीन रुपये 80/-, चालान क्रमांक-79161243, दिनांक 18.07.2020 में जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 27.11.2020 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री मदन मोहन त्रिपाठी	अध्यक्ष
02	श्री आनन्द कुमार	उपाध्यक्ष
03	श्री प्रमोद कुमार	सचिव
04	श्रीमती स्नेहलता त्रिपाठी	कोषाध्यक्ष
05	श्री एच.के.मिश्रा	संयुक्त सचिव
06	श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी	सदस्य
07	श्रीमती कुंजलता त्रिपाठी	सदस्य

अतः एतद द्वारा आज दिनांक 27/11/2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

Principal
Krishna Public School
Nehru Nagar, Bhilai (C.G.)

Manager
Krishna Public School
Nehru Nagar, Bhilai (C.G.)

सहायक पंजीयक
फार्म एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

MANAGER
KRISHNA PUBLIC SCHOOL
SUNDER NAGAR, BHILAI (C.G.)